

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, खल 6-7, जास्ता वीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अवलत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर  
ब इनलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

गुरमीत सिंह बनाम अतेन्द्रपाल सिंह आदि

घारा अन्तर्गत 88, 53, 91 आरटीए मुकदमा नं. 19/2021

निर्णय दिनांक :- 05.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल कतई खबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -


वादपत्र वादी अंतर्गत घारा 88, 53, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया राजस्व ग्राम चक 15 एफ एफ, पटवार हल्का 14 एफ एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर में जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 98/97 के मु.न. 43, 46, 47, 50, 51, 52, 65/25 की कुल 22.960 हैक्टर भूमि में वादीगण के हक हिस्से की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय विलियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गुरमीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 15 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर।	15एफएफ	51	20	0.126 हैक्टर	नहरी	1.04
				21,22	0.506 हैक्टर	नहरी	4.20
2	हरप्रीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 15 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर।	15एफएफ	51	1/1	0.126 हैक्टर	नहरी	1.04
				11	0.253 हैक्टर	नहरी	2.10
				12/2	0.127 हैक्टर	नहरी	1.05
				13/1	0.126 हैक्टर	नहरी	1.04
				16 ता 18	0.759 हैक्टर	नहरी	6.30
				19	0.253 हैक्टर	नहरी	2.10
				20	0.127 हैक्टर	नहरी	1.05
				23 ता 25	0.759 हैक्टर	नहरी	6.30

शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नकशा निर्णय का एक भाग माना जावे। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 06.01.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिवक्ता (राजस्व)  
श्री करणपुर